



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23092026-276450  
CG-DL-E-23092026-276450

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4928]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 18, 2026/भाद्र 27, 1948

No. 4928]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 18, 2026/BHADRA 27, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2026

का.आ. 5119(अ).— यतः, केंद्र सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना का.आ 1585 (ई) दिनांक 10 नवम्बर, 2005 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. -30 (पुराना एनएच-24) के किलोमीटर 413.200 से किलोमीटर 488.270 (लखनऊ-सीतापुर खंड) तक के खंड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसके बाद "प्राधिकरण" कहा जाए) को सुपुर्द किया है;

अतः अब, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर अवधारण एवं संग्रहण) नियम 2008 के नियम 3 (जिसे इसके बाद "नियम" कहा जाए) के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.1422(अ) दिनांक: 20.06.2011 का अधिक्रमण करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं.- 30 (पुराना एन एच-24) के किलोमीटर 413.200 से किलोमीटर 479.400 तक वर्तमान लखनऊ सीतापुर खंड के चार लेन के उपयोग के लिए नीचे दी गई सारणी 1 के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों के प्रकार 66.058 किमी की निवल सड़क लंबाई [सारणी-2] और 1.42 किमी (0.142 किमी लंबाई वाली [सारणी-3]) की समतुल्य संरचना लंबाई (60 मीटर से अधिक लंबाई वाली) के लिए सारणी 1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर शुल्क उद्धृति करती है एवं प्राधिकरण को अपने अधिकारियों या किसी संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्

| सारणी - 1                                                                                                                        |                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| वाहन का प्रकार                                                                                                                   | आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी.<br>आधार शुल्क दर (रुपए में) |
| (1)                                                                                                                              | (2)                                                               |
| कार, जीप, वैन अथवा हल्के मोटर वाहन                                                                                               | 0.65                                                              |
| हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के मालवाहक वाहन अथवा मिनी बस                                                                            | 1.05                                                              |
| बस अथवा ट्रक (दो धुरी वाले)                                                                                                      | 2.20                                                              |
| तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन                                                                                                     | 2.40                                                              |
| भारी निर्माण मशीनरी (एच.सी.एम.) अथवा मृदा संचालन मशीनरी<br>उपस्कर (ई.एम.ई.) या बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.) (चार से छह धुरी<br>वाले) | 3.45                                                              |
| बड़े आकार वाले वाहन (सात अथवा अधिक धुरी वाले)                                                                                    | 4.20                                                              |

1. इसके अंतर्गत उद्गृहीत और संगृहीत शुल्क ऐसे शुल्क प्लाजाओं के अंतर्गत विनिर्दिष्ट दूरी हेतु निम्नलिखित शुल्क प्लाजाओं में देय और संदेय होगी, अर्थात:-

| सारणी -2                                 |                                                                                                |                                                                            |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| शुल्क प्लाजा का<br>अवस्थान (चेनेज)       | लंबाई (किमी में) जिसके लिए शुल्क देय है<br>[संरचनाओं को छोड़कर (60मीटर से अधिक<br>लंबाई वाले)] | जिस दर पर शुल्क देय है                                                     |
| खैराबाद शुल्क प्लाजा<br>किमी. 420.700 पर | 30.878                                                                                         | चार या अधिक लेन के लिए उपर्युक्त सारणी-1<br>में उल्लिखित आधार दरों का 100% |
| इटौंजा शुल्क प्लाजा<br>किमी 467.600 पर   | 35.180                                                                                         | चार या अधिक लेन के लिए उपर्युक्त सारणी-1<br>में उल्लिखित आधार दरों का 100% |

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर 60 मीटर से अधिक लंबाई वाली निम्नलिखित संरचनाओं के उपयोग के लिए उपर्युक्त सारणी 1 में उल्लिखित आधार दर का संरचनाओं की लंबाई को 10 के समतुल्य कारक से गुणा करके राजमार्ग की समतुल्य लंबाई में परिवर्तित करके निम्नलिखित शुल्क भी देय और संदेय होगा :-

| सारणी-3                                   |                                              |                                  |                                                                               |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| शुल्क प्लाजा का<br>अवस्थान (चेनेज)        | संरचनाओं की लंबाई <sup>^</sup><br>(किमी में) | समतुल्य सड़क लंबाई<br>(किमी में) | जिस दर पर शुल्क देय है                                                        |
| खैराबाद शुल्क प्लाजा<br>किमी. 420.700 पर  | 0.072                                        | 0.720                            | चार या अधिक लेन के लिए उपर्युक्त<br>सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का<br>100% |
| इटौंजा शुल्क प्लाजा,<br>कि.मी. 467.600 पर | 0.070                                        | 0.700                            | चार या अधिक लेन के लिए उपर्युक्त<br>सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का<br>100% |

<sup>^</sup> अवसंरचना (60 मीटर से अधिक लंबाई वाली) का विवरण निम्नानुसार हैं:

| चेनेज प्रारंभ<br>(किमी पर) | चेनेज समाप्ति<br>(किमी पर) | संरचना का प्रकार | लंबाई (किमी) |
|----------------------------|----------------------------|------------------|--------------|
| 431.724                    | 431.796                    | बड़ा पुल         | 0.072        |
| 446.335                    | 446.405                    | फ्लाईओवर         | 0.070        |

3. गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत यांत्रिक वाहन के स्वामी और शुल्क प्लाजा से बीस किमी की दूरी के भीतर निवास करने वाले व्यक्ति के लिए मासिक पास की दर वर्ष 2026-27 के लिए 360/- रुपए (तीन सौ साठ रुपए मात्र) है और उक्त नियमों के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधन के अध्वधीन है।

4. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

| सारणी-4                                                   |                                           |                             |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
| संदेय धनराशि                                              | अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या | विधिमान्यता की अवधि         |
| एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना                   | दो                                        | भुगतान के समय से चौबीस घंटे |
| पचास एकल यात्राओं के लिए भुगतान शुल्क की राशि का दो-तिहाई | पचास                                      | भुगतान की तारीख से एक माह   |

5. शुल्क प्लाजा स्थित होने वाले जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों (राष्ट्रीय परमिट के अधीन प्रचालित वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन हेतु निर्धारित दर की 50% होगी, बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के प्रयोग के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हों।

6. संबंधित श्रेणी के वाहनों के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय भार से अधिक भार लदे यांत्रिक वाहन का चालक या स्वामी या प्रभारी व्यक्ति, राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिभार लदे वाहन के प्रवेश के लिए टोल संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के वाहनों के प्रवेश लिए कथित नियमों के नियम 10 में विनिर्दिष्ट शुल्क के समतुल्य शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

7. सभी परिभाषाएं, यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, इनके अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क इत्यादि नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुरूप होंगी।

8. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, प्रयोक्ता की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।

9. उपर्युक्त तालिका-1 में यथा-उल्लिखित आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर के आधार पर यांत्रिक वाहनों से शुल्क की वास्तविक राशि और छूटों की गणना प्राधिकरण द्वारा खंड की पूरी हो गई लंबाई के आधार पर की जाएगी और उसे उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार प्रति वर्ष संशोधित किया जाएगा तथा तदनुसार उसे अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के कम से कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

10. इस परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 322 करोड़ रुपये है। चूंकि, भूमि अधिग्रहण, उपयोगिता स्थानांतरण, पेड़ों को काटने इत्यादि कार्यकलापों को अभी पूरा किया जाना है, इसलिए पूंजीगत लागत परिवर्तन के अध्वधीन प्राप्त प्रयोक्ता शुल्क के माध्यम से वसूल की गई पूंजीगत लागत का प्राधिकरण द्वारा रिकार्ड रखा जाएगा।

[फा. सं. परियोजना-35017(62)/3/2026- पीआईयू लखनऊ/(ई-268392)]

चेतना नंद सिंह, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2026

**S.O. 5119(E).**— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 1585 (E) dated 10.11.2005 issued under Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from kilometer 413.200 to kilometer 488.270 (Lucknow-Sitapur section) of National Highway No. 30 (Old NH-24) in the State of Uttar Pradesh to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (here in after referred to as the "Rules"), and in supersession of notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 1422 (E) dated 20.06.2011, the Central Government hereby levies the fee at the rate specified in column (2) of the Table-1 for net road section length of 66.058 km [Table-2] and for equivalent structure length (having length more than 60 meter) of 1.42 Km (having length 0.142 Km [Table-3]) on the type of vehicles specified in column (1) of Table-1 below for the use of four lane of Lucknow -Sitapur Section of existing km. 413.200 to kilometer 479.400 on National Highway No. 30 (Old NH-24) in the state of Uttar Pradesh, and authorises the Authority to collect, either through its officials or through a Contractor, the said fee, namely:-

| Table-1                                                                                                                  |                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Type of Vehicle                                                                                                          | Base rate of fee per km for the<br>Base year 2007-08 (in Rupees) |
| (1)                                                                                                                      | (2)                                                              |
| Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle                                                                                    | 0.65                                                             |
| Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or<br>Mini bus                                                             | 1.05                                                             |
| Bus or Truck (Two Axles)                                                                                                 | 2.20                                                             |
| Three – axle Commercial Vehicles                                                                                         | 2.40                                                             |
| Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment<br>(EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four<br>To six axles) | 3.45                                                             |
| Oversized Vehicles (seven or more axles)                                                                                 | 4.20                                                             |

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plazas, for the distance specified for such toll Plaza(s), namely:-

| Table-2                               |                                                                                                    |                                                                            |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Location of Fee Plaza<br>(Chainage)   | Length (in Km) for which fee is<br>payable [excluding structures (having<br>length more than 60m)] | Rate at which fee is payable                                               |
| Khairabad Fee plaza at<br>Km. 420.700 | 30.878                                                                                             | 100% for four or more lane of the base rates<br>mentioned in Table-1 above |
| Itaunja Fee Plaza at<br>Km. 467.600   | 35.180                                                                                             | 100% for four or more lane of the base rates<br>mentioned in Table-1 above |

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60 m at the following Fee Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalisation factor of 10, namely:-

| Table-3                            |                               |                                |                                                                         |
|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Location of Fee Plaza (Chainage)   | Length of structures^ (in km) | Equivalent road length (in km) | Rate at which fee is payable                                            |
| Khairabad Fee plaza at Km. 420.700 | 0.072                         | 0.720                          | 100% for four or more lane of the base rates mentioned in Table-1 above |
| Itaunja Fee Plaza at Km. 467.600   | 0.070                         | 0.700                          | 100% for four or more lane of the base rates mentioned in Table-1 above |

^The details of structure (> 60 m length) are as under:

| Start Chainage (at Km) | End Chainage (at Km) | Type of the Structure | Length (km) |
|------------------------|----------------------|-----------------------|-------------|
| 431.724                | 431.796              | Major Bridge          | 0.072       |
| 446.335                | 446.405              | Flyover               | 0.070       |

3. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilo meters from the toll plaza is Rs. 360.00 (Rupees Three Hundred and Sixty only) for the year 2026-27, which is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

4. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely: -

| Table-4                                                                   |                                            |                                            |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Amount Payable                                                            | Maximum number of one way journeys allowed | Period of validity                         |
| One and half times of the fee for one way journey                         | Two                                        | Twenty-four hours from the time of payment |
| Two- third of amount of the fee payable for fifty or more single journeys | Fifty                                      | One month from date of payment             |

5. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

6. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in rule 10 of the said rules.

7. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc. shall be as per definitions specified in the said rules.

8. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.

9. Based on the base rate of fee per kilometre for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.

10. The estimated capital cost of the project is **Rupees 322 Crore**. The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting, etc. are yet to be completed. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised.

[F. No. PROJ-35017(62)/3/2026-PIU Lucknow/(E-268392)]

CHETNA NAND SINGH, Jt. Secy.